

9/5/17

प्रार्थी व उसके वकील उपस्थित/विपक्षी
उपस्थित/अनुपस्थित प्रकरण को लोक अदालत/
केम्प कोर्ट में रिकार करने में दोनों पक्ष सहमत
है अतः प्रकरण को लोक अदालत में रिकार किया
जाता है पक्षकारों के नाम 5/6/17... को
केम्प कोर्ट/लोक अदालत समक्ष उपस्थित रहें।


ए.सी.इ.एम.(FT)
जोधपुर

5/6/17

प्रावली आज बुधवार केम्प कोर्ट द्वारा
पंचायत जालेकी डेहली परा डूई (प्रकरण के
पक्षकारों का वकालत आदेशित नहीं करते।

प्रावली एवं पटवारी वक्का को रिपोर्ट
के उपलब्धता से जारी द्वारा अर्जित धारा 53
इस व 183 R.T. Act का पढा गया अनुसूचित
प्रत्यक्ष प्रकरण के अन्तर्गत पक्षकारों की बाधनी
सहमत से प्राप्त हो चुका है, जो माप कुकडा की
प्रावली अन्वय 2061-2064 के इन्डरगो के शपथीकरण
के प्रकार को प्राप्त है।

मेरी विषय साथ के अधीनस्थ प्रमाण
प्रावली वक्का को इन्डरगो के प्रकार द्वारा यह हाका जारी



सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रैक)-
जोधपुर